भारत सरकार

संस्कृति मंत्रालय

राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण

24, तिलक मार्ग, नई दिल्ली

एनएमए की 503वीं आरजीपी बैठक का कार्यवृत्त

स्थान-तक्षशिला सम्मेलन कक्ष, एनएमए

दिनांक और समय - 16 दिसम्बर और 18 दिसम्बर, 2025 पूर्वाह्न 11:30 बजे और अपराह्न 04:00 बजे

*****

बैठक में निम्नलिखित ने भाग लिया:

1. श्री टी.एन. तिवारी, अध्यक्ष, एनएमए **(अध्यक्ष)**
2. श्री भास्कर वर्मा, सदस्य सचिव, एनएमए
3. कर्नल सव्यसाची मारवाहा, निदेशक, एनएमए (18.12.2025 को भाग लिया)

कार्यसूची 01

502वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

कार्यसूची 02

ऑनलाइन नए मामले

मामला संख्या 01

(श्रीमती विनीता गुप्ता, श्रीमती प्रीति अग्रवाल, श्रीमती नीलम गुप्ता, श्रीमती प्रभा कुमारी, मोनिका खुराना और श्री चैतन्य खुराना, 8/21, सर्व प्रिय विहार, नई दिल्ली)

आवेदन के अवलोकन के बाद प्राधिकरण ने 8/21, सर्व प्रिय विहार, नई दिल्ली में 18.00 मीटर (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, जनरेटर रूम, मशीन रूम, एचवीएसी इकाई, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, पेंटहाउस, टेरेस गार्डन की संरचनाएं आदि सहित) की ऊंचाई के साथ बेसमेंट + स्टिल्ट + जीएफ + 3 मंजिलों के साथ बेसमेंट = स्टिल्ट = जीएफ = 1एफ = 2एफ = 3एफ = 134.35 वर्ग मीटर और बेसमेंट की गहराई = 03.20 मीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण के लिए अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। अनुमति प्रदान करने की सिफारिश निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:

क) आवेदक को सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट में उल्लिखित सभी नियमों और शर्तों का पालन करना चाहिए;

ख) आवेदक को निर्माण शुरू होने से पहले संबंधित प्राधिकारियों से सभी अपेक्षित/आवश्यक मंजूरी प्राप्त करनी चाहिए;

ग) आवेदक को निर्माण के लिए और निर्माण के दौरान स्थानीय भवन उपनियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए;

घ) आवेदक को निर्माण पूरा होने के बाद संबंधित स्थानीय निकाय से आवश्यक अधिभोग-सह-पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिए; तथा

ड़) अग्नि और सुरक्षा विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवेदक को भवन उपनियमों के तहत जहां भी आवश्यक हो, अग्निशमन विभाग की मंजूरी प्राप्त करनी चाहिए।

च) बेसमेंट का निर्माण भूमि उपयोग और संबंधित स्थानीय भवन उप-नियमों/क्षेत्रीय विकास योजना के तहत निर्दिष्ट अन्य प्रावधानों के अनुसार किया जाना चाहिए और पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि सतह जल निकासी बेसमेंट में प्रवेश न करे।

मामला संख्या 02

(श्री नसीम अहमद स्वयं और अन्य के लिए, बी-93, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली)

आवेदन के अवलोकन के बाद प्राधिकरण ने बी-93, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली में 18.00 मीटर (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, जनरेटर रूम, मशीन रूम, एचवीएसी इकाई, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, पैंट हाउस, टेरेस गार्डन की संरचनाएं आदि सहित) की ऊंचाई के साथ बेसमेंट + स्टिल्ट + जीएफ + 3 मंजिलों के साथ स्टिल्ट = जीएफ = 1एफ = 2एफ = 3एफ = 128.50 वर्ग मीटर, बेसमेंट = 128.43 वर्ग मीटर और बेसमेंट की गहराई = 03.46 मीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण के लिए अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। अनुमति प्रदान करने की सिफारिश निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:

क) आवेदक को सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट में उल्लिखित सभी नियमों और शर्तों का पालन करना चाहिए,

ख) आवेदक को निर्माण शुरू होने से पहले संबंधित प्राधिकारियों से सभी अपेक्षित/आवश्यक मंजूरी प्राप्त करनी चाहिए;

ग) आवेदक को निर्माण के लिए और निर्माण के दौरान स्थानीय भवन उपनियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए;

घ) आवेदक को निर्माण पूरा होने के बाद संबंधित स्थानीय निकाय से आवश्यक अधिभोग-सह-पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिए;

ड़) अग्नि और सुरक्षा विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवेदक को भवन उपनियमों के तहत जहां भी आवश्यक हो, अग्निशमन विभाग की मंजूरी प्राप्त करनी चाहिए, तथा

च) बेसमेंट का निर्माण भूमि उपयोग और संबंधित स्थानीय भवन उप-नियमों/क्षेत्रीय विकास योजना के तहत निर्दिष्ट अन्य प्रावधानों के अनुसार किया जाना चाहिए और पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि सतह जल निकासी बेसमेंट में प्रवेश न करे।

<u>मामला संख्या 03</u>

(श्रीमती श्रुति भारल और अन्य, डी-1/12, हौज खास एन्क्लेव, नई दिल्ली)

आवेदन के अवलोकन के बाद प्राधिकरण ने डी-1/12, हौज खास एन्क्लेव, नई दिल्ली में 18.00 मीटर (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, जनरेटर रूम, मशीन रूम, एचवीएसी इकाई, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, पेंट हाउस, टेरेस गार्डन की संरचनाएं आदि सहित) की ऊंचाई के साथ बेसमेंट + स्टिल्ट + जीएफ + 3 मंजिलों के साथ स्टिल्ट = जीएफ = 1एफ = 2एफ = 3एफ = 87.49 वर्ग मीटर, बेसमेंट = 87.41 वर्ग मीटर और बेसमेंट की गहराई 03.80 मीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण के लिए अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। अनुमति प्रदान करने की सिफारिश निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:

क) आवेदक को सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट में उल्लिखित सभी नियमों और शर्तों का पालन करना चाहिए,

ख) आवेदक को निर्माण शुरू होने से पहले संबंधित प्राधिकारियों से सभी अपेक्षित/आवश्यक मंजूरी प्राप्त करनी चाहिए;

ग) आवेदक को निर्माण के लिए और निर्माण के दौरान स्थानीय भवन उपनियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए;

घ) आवेदक को निर्माण पूरा होने के बाद संबंधित स्थानीय निकाय से आवश्यक अधिभोग-सह-पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिए;

ड़) अग्नि और सुरक्षा विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवेदक को भवन उपनियमों के तहत जहां भी आवश्यक हो, अग्निशमन विभाग की मंजूरी प्राप्त करनी चाहिए, तथा

च) बेसमेंट का निर्माण भूमि उपयोग और संबंधित स्थानीय भवन उप-नियमों/क्षेत्रीय विकास योजना के तहत निर्दिष्ट अन्य प्रावधानों के अनुसार किया जाना चाहिए और पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि सतह जल निकासी बेसमेंट में प्रवेश न करे।

<u>मामला संख्या 04</u>

(श्री गौरव घई, ए-65/बी, निजामुद्दीन ईस्ट, नई दिल्ली 110013)

आवेदन के अवलोकन के बाद प्राधिकरण ने ए-65/बी, निजामुद्दीन ईस्ट, नई दिल्ली - 110013 में 17.95 मीटर (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, जनरेटर रूम, मशीन रूम, एचवीएसी इकाई, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली आदि सहित) की ऊंचाई के साथ बेसमेंट + स्टिल्ट + जीएफ + 3 मंजिलों के साथ स्टिल्ट = जीएफ = 1एफ = 2एफ = 3एफ = 123.04 वर्ग मीटर, बेसमेंट = 119.80 वर्ग मीटर (एफएआर) और 136.56 वर्ग मीटर (निर्मित क्षेत्र) गहराई = 03.735 मीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण के लिए अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। अनुमति प्रदान करने की सिफारिश निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:

क) आवेदक को अध्याय VI में दिए गए निर्धारित भवन संबंधी मानकों का पालन करना चाहिए और सभी हितधारकों को संरक्षित संस्मारक, "हुमायूँ का मकबरा, इसके प्लेटफार्म, उद्यान, बाड़े की दीवारें और प्रवेश द्वार, निज़ामुद्दीन ईस्ट, दिल्ली" की अनुमोदित धरोहर उप-विधियों (एचबीएल) के अध्याय VII में दी गई स्थल विशिष्ट सिफारिशों का पालन करना चाहिए। निर्माण कार्य एचबीएल में निर्धारित नियमों और शर्तों का सख्ती से पालन करेगा;

ख) आवेदक को सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट में उल्लिखित सभी नियमों और शर्तों का पालन करना चाहिए,

ग) आवेदक को निर्माण शुरू होने से पहले संबंधित प्राधिकारियों से सभी अपेक्षित/आवश्यक मंजूरी प्राप्त करनी चाहिए;

घ) आवेदक को निर्माण के लिए और निर्माण के दौरान स्थानीय भवन उपनियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए;

ड़) आवेदक को निर्माण पूरा होने के बाद संबंधित स्थानीय निकाय से आवश्यक अधिभोग-सह-पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिए; तथा

च) अग्नि और सुरक्षा विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवेदक को भवन उपनियमों के तहत जहां भी आवश्यक हो, अग्निशमन विभाग की मंजूरी प्राप्त करनी चाहिए।

छ) बेसमेंट का निर्माण भूमि उपयोग और संबंधित स्थानीय भवन उप-नियमों/क्षेत्रीय विकास योजना के तहत निर्दिष्ट अन्य प्रावधानों के अनुसार किया जाना चाहिए और पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि सतह जल निकासी बेसमेंट में प्रवेश न करे।

मामला संख्या 05

(श्री संजय गोयल और अन्य, ए-58, गुलमोहर पार्क, नई दिल्ली)

आवेदन के अवलोकन के बाद प्राधिकरण ने ए-58, गुलमोहर पार्क, नई दिल्ली में 18.00 मीटर (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, जनरेटर रूम, मशीन रूम, एचवीएसी इकाई, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, पेंटहाउस, टेरेस गार्डन की संरचनाएं आदि सहित) की ऊंचाई के साथ बेसमेंट + स्टिल्ट + जीएफ + 3 मंजिलों के साथ स्टिल्ट = जीएफ = 1एफ = 2एफ = 3एफ = 187.49, बेसमेंट = 187.46 वर्ग मीटर, बेसमेंट की गहराई = 03.95 मीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण के लिए अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। अनुमति प्रदान करने की सिफारिश निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:

क) आवेदक को सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट में उल्लिखित सभी नियमों और शर्तों का पालन करना चाहिए,

ख) आवेदक को निर्माण शुरू होने से पहले संबंधित प्राधिकारियों से सभी अपेक्षित/आवश्यक मंजूरी प्राप्त करनी चाहिए;

ग) आवेदक को निर्माण के लिए और निर्माण के दौरान स्थानीय भवन उपनियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए;

घ) आवेदक को निर्माण पूरा होने के बाद संबंधित स्थानीय निकाय से आवश्यक अधिभोग-सह-पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिए; तथा

ड़) अग्नि और सुरक्षा विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवेदक को भवन उपनियमों के तहत जहां भी आवश्यक हो, अग्निशमन विभाग की मंजूरी प्राप्त करनी चाहिए।

च) बेसमेंट का निर्माण भूमि उपयोग और संबंधित स्थानीय भवन उप-नियमों/क्षेत्रीय विकास योजना के तहत निर्दिष्ट अन्य प्रावधानों के अनुसार किया जाना चाहिए और पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि सतह जल निकासी बेसमेंट में प्रवेश न करे।

मामला संख्या 06

(श्रीमती हैप्पी उप्पल, बी-123, आनंद विहार, दिल्ली)

आवेदन के अवलोकन के बाद प्राधिकरण ने 1487, 1487/1, चांदनी चौक जिसे मोती सिनेमा के नाम से जाना जाता है और इसके खुले परिसर, दिल्ली में 17.97 मीटर (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, जनरेटर रूम, मशीन रूम, एचवीएसी इकाई, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, पेंटहाउस, टेरेस गार्डन की संरचनाएं आदि सहित) की ऊंचाई के साथ बेसमेंट + जीएफ + 3 मंजिलों के साथ बेसमेंट = जीएफ = 673.15 वर्ग मीटर, 1एफ = 2एफ = 3एफ = 445.81 वर्ग मीटर, बेसमेंट की गहराई = 04.00 मीटर तलक्षेत्र के वाणिज्यिक भवन के निर्माण के लिए अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। अनुमति प्रदान करने की सिफारिश निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:

क) आवेदक को सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट में उल्लिखित सभी नियमों और शर्तों का पालन करना चाहिए,

ख) आवेदक को निर्माण शुरू होने से पहले संबंधित प्राधिकारियों से सभी अपेक्षित/आवश्यक मंजूरी प्राप्त करनी चाहिए;

ग) आवेदक को निर्माण के लिए और निर्माण के दौरान स्थानीय भवन उपनियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए;

घ) आवेदक को निर्माण पूरा होने के बाद संबंधित स्थानीय निकाय से आवश्यक अधिभोग-सह-पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिए; तथा

ड़) अग्नि और सुरक्षा विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवेदक को भवन उपनियमों के तहत जहां भी आवश्यक हो, अग्निशमन विभाग की मंजूरी प्राप्त करनी चाहिए।

च) बेसमेंट का निर्माण भूमि उपयोग और संबंधित स्थानीय भवन उप-नियमों/क्षेत्रीय विकास योजना के तहत निर्दिष्ट अन्य प्रावधानों के अनुसार किया जाना चाहिए और पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि सतह जल निकासी बेसमेंट में प्रवेश न करे।

<u>मामला संख्या 07</u>

(श्रीमती स्वर्णा प्रकाश पाटिल, एच-29, नई दिल्ली साउथ एक्सटेंशन पार्ट-1, नई दिल्ली - 110049)

आवेदन के अवलोकन के बाद प्राधिकरण ने एच-29, नई दिल्ली साउथ एक्सटेंशन पार्ट-1, नई दिल्ली-110049 में 18.00 मीटर (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, जनरेटर रूम, मशीन रूम, एचवीएसी इकाई, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, पेंटहाउस, टेरेस गार्डन की संरचनाएं आदि सहित) की ऊंचाई के साथ बेसमेंट + स्टिल्ट + जीएफ + 3 मंजिलों के साथ बेसमेंट = स्टिल्ट = जीएफ = 1एफ = 2एफ =

3एफ = 125.40 वर्ग मीटर, बेसमेंट की गहराई = 03.45 मीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण के लिए अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। अनुमति प्रदान करने की सिफारिश निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:

क) आवेदक को सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट में उल्लिखित सभी नियमों और शर्तों का पालन करना चाहिए,

ख) आवेदक को निर्माण शुरू होने से पहले संबंधित प्राधिकारियों से सभी अपेक्षित/आवश्यक मंजूरी प्राप्त करनी चाहिए;

ग) आवेदक को निर्माण के लिए और निर्माण के दौरान स्थानीय भवन उपनियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए;

घ) आवेदक को निर्माण पूरा होने के बाद संबंधित स्थानीय निकाय से आवश्यक अधिभोग-सह-पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिए; तथा

ड़) अग्नि और सुरक्षा विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवेदक को भवन उपनियमों के तहत जहां भी आवश्यक हो, अग्निशमन विभाग की मंजूरी प्राप्त करनी चाहिए।

च) बेसमेंट का निर्माण भूमि उपयोग और संबंधित स्थानीय भवन उप-नियमों/क्षेत्रीय विकास योजना के तहत निर्दिष्ट अन्य प्रावधानों के अनुसार किया जाना चाहिए और पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि सतह जल निकासी बेसमेंट में प्रवेश न करे।

<u>मामला संख्या 08</u>

(सैयद मीसम रजा, 292/76 विक्टोरिया स्ट्रीट शिया पीजी कॉलेज के पास, चौक, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226003)

आवेदन के अवलोकन के बाद प्राधिकरण ने आवेदक को प्रस्तावित निर्माण के लिए अधिकतम ऊंचाई 10.50 मीटर (सभी सहित) तक सीमित करने और सक्षम प्राधिकारी, लखनऊ के माध्यम से संशोधित भवन योजना के साथ आवेदन फिर से प्रस्तुत करने के लिए कहते हुए मामले को **वापस भेजने** का निर्णय लिया।

<u>मामला संख्या 09</u>

(किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ, शाहमिना रोड, चौक, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226003)

आवेदन के अवलोकन के बाद प्राधिकरण ने निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ मामले को **वापस भेजने** का निर्णय लिया:

क) भवन योजना में भवन की ऊंचाई का उल्लेख नहीं किया गया था।

ख) फॉर्म-2 में छत के तलक्षेत्र (02.70 वर्ग मीटर) का भवन योजना (52.26 वर्ग मीटर) के साथ बेमेल था।

आवेदक उपरोक्त टिप्पणियों का अनुपालन करके प्राधिकरण के समक्ष भौतिक प्रस्तुति दे सकता है।

मामला संख्या 10

(मोहम्मदयुनुश अब्दुलरशीद शेख, अब्दुलमुनाफ अब्दुलरशीद शेख, मोहम्मदसलमान मोहम्मदसिद्दीक शेख, और शहीदबानू मुस्तखुस्सैन शेख, 2483, लाल स्कूल के बगल में, रंगीला पुलिस चौकी, शाहपुर, अहमदाबाद, गुजरात -380001)

आवेदन का अवलोकन करने के बाद प्राधिकरण ने आवेदक को लाइसेंस प्राप्त वास्तुकार द्वारा हस्ताक्षरित और मुहर लगी संशोधित भवन योजना जमा करने और सक्षम प्राधिकारी, गुजरात के माध्यम से संशोधित भवन योजना के साथ आवेदन फिर से जमा करने के लिए कहते हुए मामले को **वापस भेजने** का निर्णय लिया।

मामला संख्या 11

(कर्तव्य डी. सोनेचा, श्री दीपक आर सोनेचा के पीओएएच, नाथा कुवा स्ट्रीट, बी/एच द्वारकाधीश अस्पताल, खारवा दरवाजा के सामने, द्वारका गुजरात - 361335)

आवेदन का अध्ययन करने के बाद प्राधिकरण ने मामले को **खारिज करने** का निर्णय लिया क्योंकि सक्षम प्राधिकारी, गुजरात की रिपोर्ट में कहा गया है कि "आवेदक ने पूर्व मंजूरी प्राप्त किए बिना पहले भूतल का निर्माण किया था। इस संबंध में, एएसआई ने आवेदक को दिनांक 26.07.2016 का नोटिस और दिनांक 19.08.2016 का कारण बताओ नोटिस जारी किया था। आवेदकों के पिछले पांच आवेदन अस्वीकार कर दिए गए थे और आवेदक को कोई भी नया आवेदन प्रस्तुत करने से पहले अनधिकृत भूतल निर्माण को हटाने का निर्देश दिया गया था। हालाँकि, आवेदक ने अब उसी अनधिकृत भूतल संरचना पर पहली, दूसरी और तीसरी मंजिल के निर्माण के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। यह प्राचीन संस्मारक तथा पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (2010 में संशोधित) और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन है

मामला संख्या 12

(श्रीमती संतोष देवी, वीपीओ - जलावास तहसील- मुंडावर जिला - खैरथल तिजारा, राजस्थान- 301714)

आवेदन का अवलोकन करने के बाद प्राधिकरण ने मामले को **खारिज करने** का निर्णय लिया क्योंकि निर्माण स्थल संरक्षित संस्मारक, "नीमराना बावड़ी", नीमराना, अलवर, राजस्थान के प्रतिषिद्ध क्षेत्र के भीतर आता है, जहां एएमएएसआर अधिनियम 1958 (2010 में संशोधित) की धारा 20ए (4) के अनुसार किसी निर्माण की अनुमति नहीं है।

<u>मामला संख्या 13</u>

(श्री संदीप नारायणदास जानी पार्टनर कल्याणी डेवलपर्स, पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर जोगेश्वरी कृपा सहकारी गृहरचना संस्था मर्यादित, फ्लैट नं. ए/3 - 301. दामोदर रेजीडेंसी, सर्वे नं. 8, पिन्नाक मेमोरीज के पास, कोथरुड, पुणे, महाराष्ट्र - 411038)

आवेदन का अवलोकन करने के बाद प्राधिकरण ने निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ **मामला वापस** भेजने का निर्णय लिया:

क) आवेदक के नाम का बेमेल था:-

I. फार्म- I (संदीप नारायणदास जानी, करण संदीप जानी और गौतम माणिकचंद गेलाडा पार्टनर कल्याणी डेवलपर्स पावर ऑफ अटॉर्नी धारक जोगेश्वरी कृपा सहकारी)
II. फॉर्म- II (संदीप नारायणदास जानी पार्टनर कल्याणी डेवलपर्स पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर जोगेश्वरी कृपा सहकारी गृहरचना संस्था मर्यादित)
III. स्व-घोषणा (सचिव और जोगेश्वरीकृपा सहकारी गृहरचना संस्था मर्यादित के सदस्य)
IV. भवन योजना (मेसर्स कल्याणी डेवलपर्स (पीएएच) और श्री संदीप एन. जानी और अन्य (साझेदार)।

ख) मेसर्स कल्याणी डेवलपर्स की ओर से आवेदन करने के लिए श्री संदीप नारायणदास जानी के पक्ष में बोर्ड का संकल्प संलग्न नहीं था।

आवेदक उपरोक्त टिप्पणियों का अनुपालन करने के बाद सक्षम प्राधिकारी, महाराष्ट्र के माध्यम से संशोधित प्रस्ताव फिर से प्रस्तुत कर सकता है। सक्षम प्राधिकारी महाराष्ट्र यह भी सुनिश्चित कर सकता है कि फॉर्म-2 में ऊंचाई और तलक्षेत्र का विवरण फॉर्म-। और भवन योजना के अनुसार है।

<u>मामला संख्या 14</u>

(श्री राजू बबनराव तेली, सीटीएस संख्या 5669, तेली गली, तालुक - फलटन, जिला - सतारा, महाराष्ट्र - 422401)

आवेदन के अवलोकन के बाद प्राधिकरण ने सर्वेक्षण संख्या 5669, तेली गली, तालुका - फलटन, जिला - सतारा, महाराष्ट्र में 07.40 मीटर (ममटी, पैरापेट, वाटर स्टोरेज टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सोलर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, पेंटहाउस, टेरेस गार्डन की संरचनाएं आदि सहित) की ऊंचाई के साथ जीएफ+1 मंजिल के साथ जीएफ = 1एफ = 48.23 वर्ग मीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण के लिए अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। अनुमति प्रदान करने की सिफारिश निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:

क) आवेदक को सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट में उल्लिखित सभी नियमों और शर्तों का पालन करना चाहिए;

ख) आवेदक को निर्माण शुरू होने से पहले संबंधित प्राधिकारियों से सभी अपेक्षित/आवश्यक मंजूरी प्राप्त करनी चाहिए;

ग) आवेदक को निर्माण के लिए और निर्माण के दौरान स्थानीय भवन उपनियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए;

घ) आवेदक को निर्माण पूरा होने के बाद संबंधित स्थानीय निकाय से आवश्यक अधिभोग-सह-पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिए; तथा

ड़) अग्नि और सुरक्षा विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवेदक को भवन उपनियमों के तहत जहां भी आवश्यक हो, अग्निशमन विभाग की मंजूरी प्राप्त करनी चाहिए।

<u>मामला संख्या 15</u>

(श्री आनंद दीपक गोयल, श्री राहुल ओमप्रकाश गोयल, सुधा किरण गोयल और भाग्य श्री पवन गोयल, 673 साउथ कस्बा सोलापुर, महाराष्ट्र - 413007)

आवेदन के अवलोकन के बाद प्राधिकरण ने सी.एस. नंबर 8560/1/ए गोल्ड फिंच पेठ सोलापुर, तालुक - नार्थ सोलापुर, जिला - सोलापुर, महाराष्ट्र में 17.25 मीटर (ममटी, पैरापेट, वाटर स्टोरेज टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सोलर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, पेंटहाउस, टेरेस गार्डन की संरचनाएं आदि सहित) की ऊंचाई के साथ जीएफ + 4 मंजिलों के साथ जीएफ = 43.34 वर्ग मीटर, 1एफ = 2एफ = 3एफ = 48.01 वर्ग मीटर, 4एफ = 23.80 वर्ग मीटर, लिफ्ट पिट = 01.50 मीटर तलक्षेत्र के आवासीय और वाणिज्यिक भवन के निर्माण के लिए अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। अनुमति प्रदान करने की सिफारिश निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:

क) आवेदक को सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट में उल्लिखित सभी नियमों और शर्तों का पालन करना चाहिए;

ख) आवेदक को निर्माण शुरू होने से पहले संबंधित प्राधिकारियों से सभी अपेक्षित/आवश्यक मंजूरी प्राप्त करनी चाहिए;

ग) आवेदक को निर्माण के लिए और निर्माण के दौरान स्थानीय भवन उपनियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए;

घ) आवेदक को निर्माण पूरा होने के बाद संबंधित स्थानीय निकाय से आवश्यक अधिभोग-सह-पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिए; तथा

ड़) अग्नि और सुरक्षा विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवेदक को भवन उपनियमों के तहत जहां भी आवश्यक हो, अग्निशमन विभाग की मंजूरी प्राप्त करनी चाहिए।

<u>मामला संख्या 16</u>

(श्री जयसिंह कपाड़िया पार्टनर यशराज इंफ्रास्पेस एलएलपी, शॉप नंबर 11, मुलजी नगर बिल्डिंग नंबर 3, ऑफ एसवी रोड, साईबाबा मंदिर रोड, बोरीवली पश्चिम, मुंबई, महाराष्ट्र - 400092)

आवेदन का अवलोकन करने के बाद प्राधिकरण ने निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ मामले को **वापस भेजने** का निर्णय लिया:

क) फॉर्म-1 और भवन योजना (163.57 वर्ग मीटर) में फॉर्म-2 (197.31 वर्ग मीटर) में तीसरी मंजिल के तल क्षेत्र में विसंगति थी।

ख) फॉर्म-1 में 9वीं मंजिल के तलक्षेत्र और भवन योजना (171.65 वर्ग मीटर) और फॉर्म-2 (171.16 वर्ग मीटर) में विसंगति थी।

ग) फॉर्म-1 और फॉर्म-2 (01.80 मीटर) में लिफ्ट पिट की गहराई में भवन योजना (01.85 मीटर) के साथ बेमेल था।

घ) संपत्ति के दस्तावेज पठनीय नहीं थे।

आवेदक उपरोक्त टिप्पणियों का अनुपालन करने के बाद सक्षम प्राधिकारी, महाराष्ट्र के माध्यम से संशोधित प्रस्ताव फिर से प्रस्तुत कर सकता है। सक्षम प्राधिकारी महाराष्ट्र यह भी सुनिश्चित करें कि फॉर्म-2 में ऊंचाई और तलक्षेत्र का विवरण फॉर्म-1 और भवन योजना के अनुसार है।

<u>मामला संख्या 17</u>

(श्रीमती मंगल हीरालाल मनियार, 104, गुरुवार पेठ, कराड जिला - सतारा, महाराष्ट्र - 415110)

आवेदन का अवलोकन करने के बाद प्राधिकरण ने निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ मामले को **वापस भेजने** का निर्णय लिया:

क) फॉर्म-1, स्थल निरीक्षण रिपोर्ट और भवन योजना (केवल 3 उल्लिखित) में फॉर्म - II (जीएफ + 2 मंजिल) में मंजिलों की संख्या में विसंगति थी।

ख) भवन योजना सुपाठ्य नहीं थी।

आवेदक उपरोक्त टिप्पणियों का अनुपालन करने के बाद सक्षम प्राधिकारी, महाराष्ट्र के माध्यम से संशोधित प्रस्ताव फिर से प्रस्तुत कर सकता है।

<u>मामला संख्या 18</u>

(श्री हरीश आर जैन भागीदार ऋषभराज नमो एंटरप्राइज एलएलपी, 1ए और 2 पंचवटी, आनंदवन अहरम के पास एस.वी रोड, कांदिवली (पश्चिम) मुंबई, महाराष्ट्र - 400067)

आवेदन का अवलोकन करने के बाद प्राधिकरण ने मामले को **खारिज करने** का निर्णय क्योंकि सक्षम प्राधिकारी, महाराष्ट्र की रिपोर्ट में कहा गया है कि "आवेदक ने प्राधिकरण की पूर्व अनुमति के बिना जी + 9 मंजिल तक पहले ही पूरा कर लिया है"। यह प्राचीन संस्मारक तथा पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (2010 में संशोधित) और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन है।

<u>मामला संख्या 19</u>

(श्रीमती ज्योति अनुज सोनिया और अनुज कमलकिशोर सोनी, 38 महेश नगर, सम्राट चौक, सोलापुर, महाराष्ट्र - 413002)

आवेदन का अवलोकन करने के बाद प्राधिकरण ने निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ मामले को **वापस भेजने** का निर्णय लिया:

क) फॉर्म-I, फॉर्म-II और स्व-घोषणा (97/2, एस नं. 8548/05) में प्रस्तावित स्थल पते का भवन योजना (8548/ 5) के साथ बेमेल था।

ख) भवन योजना में प्रस्तावित तलक्षेत्र का उल्लेख नहीं किया गया था।

आवेदक उपरोक्त टिप्पणियों का अनुपालन करने के बाद सक्षम प्राधिकारी, महाराष्ट्र के माध्यम से संशोधित प्रस्ताव फिर से प्रस्तुत कर सकता है।

ऑफलाइन नए मामले

मामला संख्या 20

(श्री एन वी कुसुमाकर, "श्री कालीकाम्बा निलया", 1-22-1706 सुल्तान बैटरी रोड, मास्टर कंपाउंड, अशोक नगर पोस्ट, मैंगलोर, दक्षिण कन्नड़, कर्नाटक-575006)

आवेदन का अवलोकन करने के बाद प्राधिकरण ने मामले को **खारिज करने** का निर्णय लिया क्योंकि सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक की रिपोर्ट में कहा गया है कि "आवेदक ने मौजूदा भूतल पर परिवर्तन और पहली मंजिल और छत की मंजिल के निर्माण का प्रस्ताव रखा था, जिसका निर्माण वर्ष 1996 में किया गया था। आज की तारीख में पहली मंजिल के निर्माण का काम पहले ही पूरा हो चुका है। इसके अलावा, मोल्ड वर्क और प्लास्टरिंग का काम शुरू कर दिया गया है और अधीक्षण पुरातत्वविद्, बैंगलोर सर्कल द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। यह प्राचीन संस्मारक तथा पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (2010 में संशोधित) और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन है।

मामला संख्या 21

(श्रीमती ललिता, "श्री कालीकाम्बा निलया" मकान नंबर 1-22-1706 सुल्तान बैटरी रोड, मास्टर कंपाउंड, अशोक नगर पोस्ट, मैंगलोर, दक्षिण कन्नड़, कर्नाटक-575006)

आवेदन का अवलोकन करने के बाद प्राधिकरण ने मामले को **खारिज करने** का निर्णय लिया क्योंकि सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक की रिपोर्ट में कहा गया है कि "आवेदक ने मौजूदा भूतल पर परिवर्तन और पहली मंजिल और छत की मंजिल के निर्माण का प्रस्ताव दिया था, जिसका निर्माण वर्ष 1996 में किया गया था। आज की तारीख में पहली मंजिल के निर्माण का काम पहले ही पूरा हो चुका है। इसके अलावा, मोल्ड वर्क और प्लास्टरिंग का काम शुरू कर दिया गया है, और अधीक्षण पुरातत्वविद्, बैंगलोर सर्कल द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। यह प्राचीन संस्मारक तथा पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (2010 में संशोधित) और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन है।

मामला संख्या 22

(श्रीमती फुलेश्वरी बाई, पत्नी स्वर्गीय श्री यादराव खुसले, वार्ड नं. 10, लोधी मोहल्ला, लांजी, तहसील-लांजी जिला-बालाघाट, मध्य प्रदेश)

आवेदन का अवलोकन करने के बाद प्राधिकरण ने मामले को **वापस भेजने** का निर्णय लिया और आवेदक को सक्षम वास्तुकार द्वारा हस्ताक्षरित और मुहर लगी संशोधित भवन योजना प्रस्तुत करने और सक्षम प्राधिकारी, मध्य प्रदेश के माध्यम से संशोधित भवन योजना के साथ आवेदन फिर से प्रस्तुत करने के लिए कहा।

मामला संख्या 23

(श्री किशोर कालबेले पुत्र श्री मोहनलाल कालबेले, वार्ड नं. 08, फोर्ट के सामने, लांजी, तहसील-लांजी जिला- बालाघाट, मध्य प्रदेश)

आवेदन का अवलोकन करने के बाद प्राधिकरण ने मामले को **खारिज करने** का निर्णय लिया क्योंकि निर्माण स्थल संरक्षित संस्मारक, "पुराना किला, लांजी, बालाघाट, मध्य प्रदेश" के प्रतिषिद्ध क्षेत्र के भीतर आता है, जहां एएमएएसआर अधिनियम 1958 (2010 में संशोधित) की धारा 20ए (4) के अनुसार किसी निर्माण की अनुमति नहीं है।

मामला संख्या 24

(श्री सोविंदा दहिकर पुत्र श्री कारू दहिकर, वार्ड नं. 02, रेस्ट हाउस के पीछे, लांजी, तहसील-लांजी जिला- बालाघाट, मध्य प्रदेश)

आवेदन के अवलोकन के बाद प्राधिकरण ने मामले को **खारिज करने** का निर्णय लिया क्योंकि सक्षम प्राधिकारी, मध्य प्रदेश की रिपोर्ट में कहा गया है कि "आवेदक ने आवश्यक अनुमोदन प्राप्त किए बिना जीएफ + 1 मंजिल तक निर्माण कार्य पूरा कर लिया है और अधीक्षण पुरातत्वविद्, जबलपुर सर्कल द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। यह प्राचीन संस्मारक तथा पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (2010 में संशोधित) और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन है।

<u>मामला संख्या 25</u>

(ईआईसी-प्रबंध निदेशक, ओडिशा ब्रिज एंड कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ओबीसीसी), विकास भवन, नयापली, भुवनेश्वर, जिला - खोर्धा, ओडिशा।)

आवेदन के अवलोकन के बाद प्राधिकरण ने निर्णय लिया कि उसे एएमएएसआर अधिनियम 1958 (2010 में संशोधित) की धारा 2(डीसी) में दिए गए 'निर्माण' की परिभाषा के अपवाद खंड के तहत व्यापक सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित शर्तों के अधीन संरक्षित संस्मारक, "श्री लिंगराज मंदिर", भुवनेश्वर, खोर्धा, ओडिशा के निकट भूखंड संख्या 548 और 549, मौजा-भुवनेश्वर सहारा यूनिट-27, तहसील- भुवनेश्वर, जिला- खोर्धा, राज्य- ओडिशा- 751002 में क्राफ्ट्स पवेलियन के

पास 05.20 (सभी शामिल) मीटर की ऊंचाई के साथ भूतल के साथ जीएफ = 110.00 वर्ग मीटर तलक्षेत्र के शौचालय ब्लॉक के निर्माण पर **कोई आपत्ति नहीं** है।

क) कार्य अधीक्षण पुरातत्वविद्, एएसआई ओडिशा सर्कल की देखरेख में किया जाएगा।

ख) आवेदक को सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट में उल्लिखित सभी नियमों और शर्तों का पालन करना चाहिए; और

ग) आवेदक को निर्माण शुरू करने से पहले संबंधित प्राधिकारियों से सभी अपेक्षित/आवश्यक मंजूरी प्राप्त करनी चाहिए।

<u>मामला संख्या 26</u>

(ईआईसी-प्रबंध निदेशक, ओडिशा ब्रिज एंड कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ओबीसीसी), विकास भवन, नयापल्ली, भुवनेश्वर, जिला - खोर्धा, ओडिशा)

आवेदन के अवलोकन के बाद प्राधिकरण ने निर्णय लिया कि उसे एएमएएसआर अधिनियम 1958 (2010 में संशोधित) की धारा 2(डीसी) में दिए गए 'निर्माण' की परिभाषा के अपवाद खंड के तहत व्यापक सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित शर्तों के अधीन संरक्षित संस्मारक, "अनंत बासुदेव मंदिर", भुवनेश्वर, खोर्धा, ओडिशा के निकट भूखंड संख्या 3306, 3323 और 3332, मौजा-भुवनेश्वर सहारा यूनिट-28, गौतम नगर, तहसील- भुवनेश्वर, जिला- खोर्धा, राज्य-ओडिशा-751002 में दिम्बरी झार के पास 03.30 मीटर (सभी शामिल) की ऊंचाई के साथ बेसमेंट + ग्राउंड फ्लोर के साथ जीएफ = 12.25 वर्ग मीटर, बेसमेंट की गहराई = 01.20 मीटर तलक्षेत्र के कुंड और पंप हाउस के निर्माण पर **कोई आपत्ति नहीं** है।

क) कार्य अधीक्षण पुरातत्वविद्, एएसआई ओडिशा सर्कल की देखरेख में किया जाएगा;

ख) आवेदक को सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट में उल्लिखित सभी नियमों और शर्तों का पालन करना चाहिए; और

ग) आवेदक को निर्माण शुरू करने से पहले संबंधित अधिकारियों से सभी अपेक्षित/आवश्यक मंजूरी प्राप्त करनी चाहिए।

मामला संख्या 27

(ईआईसी-प्रबंध निदेशक, ओडिशा ब्रिज एंड कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ओबीसीसी), विकास भवन, नयापल्ली, भुवनेश्वर, जिला - खोर्धा, ओडिशा)

आवेदन के अवलोकन के बाद प्राधिकरण ने निर्णय लिया कि उसे एएमएएसआर अधिनियम 1958 (2010 में संशोधित) की धारा 2(डीसी) में दिए गए 'निर्माण' की परिभाषा के अपवाद खंड के तहत व्यापक सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित शर्तों के अधीन संरक्षित संस्मारक, "मुक्तेश्वर मंदिर", भुवनेश्वर, खोर्धा, ओडिशा के निकट भूखंड संख्या 3196, मौजा- भुवनेश्वर सहारा यूनिट-28, गौतम नगर, तहसील- भुवनेश्वर, जिला - खोर्धा, राज्य- ओडिशा- 751002 में केदार गौरी मंदिर के पास 06.71 मीटर (सभी शामिल) की ऊंचाई के साथ भूतल के साथ जीएफ = 180.00 मीटर तलक्षेत्र के शौचालय ब्लॉक के निर्माण पर **कोई आपत्ति नहीं** है।

क) कार्य अधीक्षण पुरातत्वविद्, एएसआई ओडिशा सर्कल की देखरेख में किया जाएगा;

ख) आवेदक को सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट में उल्लिखित सभी नियमों और शर्तों का पालन करना चाहिए; और

ग) आवेदक को निर्माण शुरू करने से पहले संबंधित अधिकारियों से सभी अपेक्षित/आवश्यक मंजूरी प्राप्त करनी चाहिए।

मामला संख्या 28

(ईआईसी-प्रबंध निदेशक, ओडिशा ब्रिज एंड कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ओबीसीसी), विकास भवन, नयापल्ली, भुवनेश्वर, जिला - खोर्धा, ओडिशा)

आवेदन के अवलोकन के बाद प्राधिकरण ने निर्णय लिया कि उसे एएमएएसआर अधिनियम 1958 (2010 में संशोधित) की धारा 2(डीसी) में दिए गए 'निर्माण' की परिभाषा के अपवाद खंड के तहत व्यापक सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित शर्तों के अधीन संरक्षित संस्मारक, "सहस्रलिंग टैंक", भुवनेश्वर, खोर्धा, ओडिशा के निकट भूखंड संख्या 3485, 3488 और 3485/4254, मौजा- भुवनेश्वर सहारा यूनिट-28, गौतम नगर, तहसील- भुवनेश्वर, जिला - खोर्धा, राज्य- ओडिशा- 751002 में वाई-जंक्शन के पास 05.20 मीटर (सभी शामिल) की ऊंचाई के साथ भूतल के साथ जीएफ = 220.00 मीटर तलक्षेत्र की शौचालय सुविधा-2 के निर्माण पर **कोई आपत्ति नहीं** है।

क) कार्य अधीक्षण पुरातत्वविद्, एएसआई ओडिशा सर्कल की देखरेख में किया जाएगा;

ख) आवेदक को सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट में उल्लिखित सभी नियमों और शर्तों का पालन करना चाहिए; और

ग) आवेदक को निर्माण शुरू करने से पहले संबंधित अधिकारियों से सभी अपेक्षित/आवश्यक मंजूरी प्राप्त करनी चाहिए।

<u>मामला संख्या 29</u>

(ईआईसी-प्रबंध निदेशक, ओडिशा ब्रिज एंड कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ओबीसीसी), विकास भवन, नयापल्ली, भुवनेश्वर, जिला - खोर्धा, ओडिशा)

आवेदन के अवलोकन के बाद प्राधिकरण ने प्लॉट नंबर 2264 और 4371, मौजा-भुवनेश्वर सहारा यूनिट-28, गौतम नगर, तहसील-भुवनेश्वर, जिला - खोर्धा, राज्य - ओडिशा - 751002 में तरंग क्लब के पास 05.20 मीटर (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, जनरेटर रूम, मशीन रूम, एचवीएसी इकाई, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, पेंटहाउस, टेरेस गार्डन की संरचनाएं आदि सहित) की ऊंचाई के साथ भूतल के साथ जीएफ = 93.00 वर्ग मीटर तलक्षेत्र के शौचालय ब्लॉक के निर्माण के लिए अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। अनुमति प्रदान करने की सिफारिश निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:

क) कार्य अधीक्षण पुरातत्वविद्, एएसआई ओडिशा सर्कल की देखरेख में किया जाएगा;

ख) आवेदक को सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट में उल्लिखित सभी नियमों और शर्तों का पालन करना चाहिए; और

ग) आवेदक को निर्माण शुरू करने से पहले संबंधित अधिकारियों से सभी अपेक्षित/आवश्यक मंजूरी प्राप्त करनी चाहिए।

<u>मामला संख्या 30</u>

(ईआईसी-प्रबंध निदेशक, ओडिशा ब्रिज एंड कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ओबीसीसी), विकास भवन, नयापल्ली, भुवनेश्वर, जिला - खोर्धा, ओडिशा)

आवेदन के अवलोकन के बाद प्राधिकरण ने प्लॉट नंबर. 2252/6394, 2252/6395, 2252/6559, 2252/6558, मौजा-भुवनेश्वर सहारा यूनिट-28, गौतम नगर, तहसील- भुवनेश्वर, जिला - खोर्धा, राज्य- ओडिशा- 751002 में 05.00 मीटर (ममटी, पैरापेट, पानी भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सोलर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली आदि सहित) की ऊंचाई के साथ भूतल के साथ जीएफ = 38.12 वर्ग मीटर तलक्षेत्र के अनुष्ठान मंडप के निर्माण के लिए अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। अनुमति प्रदान करने की सिफारिश निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:

क) आवेदक को सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट में उल्लिखित सभी नियमों और शर्तों का पालन करना चाहिए;

ख) आवेदक को निर्माण शुरू करने से पहले संबंधित अधिकारियों से सभी अपेक्षित/आवश्यक मंजूरी प्राप्त करनी चाहिए;

ग) आवेदक को निर्माण के दौरान और निर्माण के लिए स्थानीय भवन उप-नियमों का सख्ती से पालन करना चाहिए;

घ) आवेदक को निर्माण पूरा होने के बाद संबंधित स्थानीय निकाय से आवश्यक अधिभोग-सह-पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिए; और

ङ) भवन उप-नियमों के तहत जहां भी आवश्यक हो, आवेदक को अग्नि और सुरक्षा विनियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए अग्निशमन विभाग की मंजूरी प्राप्त करनी चाहिए

मामला संख्या 31

(श्री श्रीवास वेलांडी और मनक्कारा प्रेमन, प्रबंध निदेशक, हार्टेल रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड, शिवदम, बी, नंबर 35 / 258, टेम्पल गेट, थलस्सेरी.पी.ओ, कन्नूर, केरल - 670101)

आवेदन का अवलोकन करने के बाद प्राधिकरण ने निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ मामले को **वापस भेजने** का निर्णय लिया:

क) प्रस्तावित भवन की ऊंचाई अधिकतम 10.50 मीटर (सभी सहित) तक सीमित होनी चाहिए।

ख) फॉर्म-II में प्रस्तावित स्थल पते (ब्लॉक नं.) और संपत्ति दस्तावेज़ (ब्लॉक नं. -104) का स्व-घोषणा और भवन योजना (ब्लॉक नं.-09) के साथ बेमेल था।

उपरोक्त टिप्पणियों का अनुपालन करने के बाद आवेदक सक्षम प्राधिकारी, केरल के माध्यम से संशोधित प्रस्ताव फिर से प्रस्तुत कर सकता है

मामला संख्या 32

(उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (जिसे पहले लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था), प्रशासनिक भवन, विपिन खंड, गोमती, नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226010)

आवेदन के अवलोकन के बाद प्राधिकरण ने मामले को **वापस भेजने** का निर्णय लिया और आवेदक को प्रस्तावित परियोजना पर प्राधिकरण के समक्ष भौतिक प्रस्तुति देने के लिए कहा।

मामला संख्या 33

(श्री जी. शिव कुमार, सहायक निदेशक, पर्यटन विभाग, तमिलनाडु पर्यटन परिसर संख्या 2, वल्लाजा रोड, चेन्नई, तमिलनाडु - 600002)

आवेदन के अवलोकन के बाद प्राधिकरण ने मामले को **वापस भेजने** का निर्णय लिया और आवेदक को प्रस्तावित परियोजना पर प्राधिकरण के समक्ष भौतिक प्रस्तुति देने के लिए कहा।

ऑनलाइन अनुपालन मामला

मामला संख्या 34

(श्री राजीव लक्ष्मण मंगलवेढे, पद्मावती नगर टी-पॉइंट, सिंदखेड़ राजा, तालुका-सिंदखेड़ राजा, जिला-बुलढाणा, महाराष्ट्र)

आवेदन के अवलोकन के बाद प्राधिकरण ने 45/2/ए/1/23 और 45/2/ए/1/24, सिंदखेड़ राजा, टी-पॉइंट, सिंदखेड़ राजा, बुलढाणा, महाराष्ट्र में 06.175 मीटर (ममटी, पैरापेट, पानी भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सोलर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली आदि सहित) की ऊंचाई के साथ भूतल के साथ जीएफ = 59.872 वर्ग मीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। अनुमति प्रदान करने की सिफारिश निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:

क) आवेदक को सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट में उल्लिखित सभी नियमों और शर्तों का पालन करना चाहिए;

ख) आवेदक को निर्माण शुरू करने से पहले संबंधित अधिकारियों से सभी अपेक्षित/आवश्यक मंजूरी प्राप्त करनी चाहिए;

ग) आवेदक को निर्माण के दौरान और निर्माण के लिए स्थानीय भवन उप-नियमों का सख्ती से पालन करना चाहिए;

घ) आवेदक को निर्माण पूरा होने के बाद संबंधित स्थानीय निकाय से आवश्यक अधिभोग-सह-पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिए; और

ङ) भवन उप-नियमों के तहत जहां भी आवश्यक हो, आवेदक को अग्नि और सुरक्षा विनियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए अग्निशमन विभाग की मंजूरी प्राप्त करनी चाहिए।

ऑफलाइन अनुपालन मामले

मामला संख्या 35

(श्री नरेंद्र एंगला पुत्र श्री दुर्गाराम एंगला और दीपिका पुत्र नरेंद्र एंगला, 15 ए श्री किशन एवेन्यू, फेज-3, खंडवा रोड, लिंबोदिया, इंदौर, मध्य प्रदेश)

आवेदन के अवलोकन के बाद प्राधिकरण ने खसरा नं. 41/2/1/1/1, प्लॉट नं. 07, मंधाता ड्रीम कॉलोनी, गांव- गोदादपुरा, तहसील-पुनासा, जिला- खंडवा, मध्य प्रदेश में 10.50 मीटर (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, जनरेटर रूम, मशीन रूम, एचवीएसी इकाई, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, पेंटहाउस, टेरेस गार्डन की संरचनाएं आदि सहित) की ऊंचाई के साथ जीएफ + 2 मंजिलों के साथ जीएफ = 88.73 वर्ग मीटर, 1 एफ = 2 एफ = 60.67 वर्ग मीटर तलक्षेत्र के वाणिज्यिक भवन के निर्माण के लिए अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। अनुमति प्रदान करने की सिफारिश निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:

क) आवेदक को अध्याय VI में दिए गए निर्धारित भवन संबंधी मानकों का पालन करना चाहिए और सभी हितधारकों को संरक्षित संस्मारक, "अमलेश्वर उर्फ ममलेश्वर मंदिर समूह जिसमें कालेश्वर मंदिर, पुनासा, खंडवा, मध्य प्रदेश शामिल हैं" की अनुमोदित धरोहर उप-विधियों (एचबीएल) के अध्याय VII में दी गई स्थल विशिष्ट सिफारिशों का पालन करना चाहिए। निर्माण कार्य एचबीएल में निर्धारित नियमों और शर्तों का सख्ती से पालन करेगा।

ख) आवेदक को सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट में उल्लिखित सभी नियमों और शर्तों का पालन करना चाहिए;

ग) आवेदक को निर्माण शुरू करने से पहले संबंधित अधिकारियों से सभी अपेक्षित/आवश्यक मंजूरी प्राप्त करनी चाहिए;

घ) आवेदक को निर्माण के दौरान और निर्माण के लिए स्थानीय भवन उप-नियमों का सख्ती से पालन करना चाहिए;

ङ) आवेदक को निर्माण पूरा होने के बाद संबंधित स्थानीय निकाय से आवश्यक अधिभोग-सह-पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिए; और

च) आवेदक को अग्नि और सुरक्षा विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, जहां भी आवश्यक हो, भवन उप-नियमों के तहत अग्निशमन विभाग की मंजूरी प्राप्त करनी चाहिए।

<u>मामला संख्या 36</u>

(श्रीमती जिंसी रोज़ ए. पी, प्लक्कल हाउस, अनापुझा पी.ओ, त्रिशूर, केरल-680667)

आवेदन के अवलोकन के बाद प्राधिकरण ने वार्ड नं. 21, एसवाई नंबर 913/2-14, मेथला गांव, कोडुंगल्लूर, त्रिशूर, केरल में 04.30 मीटर (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, जनरेटर रूम, मशीन रूम, एचवीएसी इकाई, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, पेंटहाउस, टेरेस गार्डन की संरचनाएं आदि सहित) के साथ भूतल के साथ जीएफ = 93.52 वर्ग मीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण के लिए अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। अनुमति प्रदान करने की सिफारिश निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:

क) आवेदक को सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट में उल्लिखित सभी नियमों और शर्तों का पालन करना चाहिए;

ख) आवेदक को निर्माण शुरू करने से पहले संबंधित अधिकारियों से सभी अपेक्षित/आवश्यक मंजूरी प्राप्त करनी चाहिए;

ग) आवेदक को निर्माण के दौरान और निर्माण के लिए स्थानीय भवन उप-नियमों का सख्ती से पालन करना चाहिए;

घ) आवेदक को निर्माण पूरा होने के बाद संबंधित स्थानीय निकाय से आवश्यक अधिभोग-सह-पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिए; और

ड) भवन उप-नियमों के तहत जहां भी आवश्यक हो, आवेदक को अग्नि और सुरक्षा विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अग्निशमन विभाग की मंजूरी प्राप्त करनी चाहिए

<u>मामला संख्या 37</u>

(श्री उन्नीकृष्णन, अनेदाथ किझाकेथिल हाउस, चेम्मनथाट्टा. पी.ओ, त्रिशूर, केरल- 680501)

आवेदन के अवलोकन के बाद प्राधिकरण ने ब्लॉक नंबर 10, एसवाई नंबर 90/10, चेम्मनथाट्टा गांव, कुन्नमकुलम तालुक, त्रिशूर, केरल में 07.50 मीटर (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, जनरेटर रूम, मशीन रूम, एचवीएसी इकाई, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, पेंटहाउस, टेरेस गार्डन की संरचनाएं आदि सहित) की ऊंचाई के साथ जीएफ + 1 मंजिल के साथ जीएफ = 96.78 वर्ग मीटर, 1एफ = 23.42 वर्ग मीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण के लिए अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। अनुमति प्रदान करने की सिफारिश निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:

क) आवेदक को सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट में उल्लिखित सभी नियमों और शर्तों का पालन करना चाहिए;

ख) आवेदक को निर्माण शुरू करने से पहले संबंधित अधिकारियों से सभी अपेक्षित/आवश्यक मंजूरी प्राप्त करनी चाहिए;

ग) आवेदक को निर्माण के दौरान और निर्माण के लिए स्थानीय भवन उप-नियमों का सख्ती से पालन करना चाहिए;

घ) आवेदक को निर्माण पूरा होने के बाद संबंधित स्थानीय निकाय से आवश्यक अधिभोग-सह-पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिए; और

ड) भवन उप-नियमों के तहत जहां भी आवश्यक हो, आवेदक को अग्नि और सुरक्षा विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अग्निशमन विभाग की मंजूरी प्राप्त करनी चाहिए।

<u>मामला संख्या 38</u>

(श्री धीरेन गाला, मेसर्स राजहेम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स एलएलपी, 2774/63, एमआईजी कॉलोनी बांद्रा (ई), मुंबई, महाराष्ट्र - 400051)

एएसआई क्षेत्रीय निदेशक (पश्चिम) और सक्षम प्राधिकारी महाराष्ट्र को संबोधित आवेदक के दिनांक 10.10.2025 के पत्र जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि मुख्य संलग्न सड़क जेवीएलआर से संदर्भित भूखंड जमीन के स्तर से 69.90 मीटर ऊपर है, जबकि ऊंचाई के समोच्च अंतर के कारण पीछे की ओर से संदर्भित भवन 72.20 मीटर है, के अवलोकन के बाद प्राधिकरण ने निम्नलिखित विवरण के साथ महाराष्ट्र के जोगेश्वरी विक्रोली लिंक रोड से सटे गांव माजास के सीटीएस नंबर 367, 367/1 से 21 में आवासीय और वाणिज्यिक भवन (स्लम का पुनर्विकास) के निर्माण की अनुमति देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया है:

रिहैब विंग- ए बेसमेंट + जीएफ + 21 मंजिलें और बिक्री विंग-बी बेसमेंट + जीएफ + 22 मंजिलें			
		<u>रिहैब विंग- ए</u>	**<u>बिक्री विंग-बी</u>**
क्र.सं.	**मंजिलें**	**निर्मित क्षेत्र**	**निर्मित क्षेत्र**
1	बेसमेंट	76.41वर्गमीटर	304.26 वर्गमीटर
2	GF	202.40 वर्गमीटर	86.79 वर्गमीटर
3	1F	188.18 वर्गमीटर	269.26 वर्गमीटर
4	2F	226.41 वर्गमीटर	269.26 वर्गमीटर
5	3F	235.64 वर्गमीटर	269.26 वर्गमीटर
6	4F	235.64 वर्गमीटर	269.26 वर्गमीटर

7	5F	235.64 वर्गमीटर	269.26 वर्गमीटर
8	6F	235.64 वर्गमीटर	269.26 वर्गमीटर
9	7F	238.50 वर्गमीटर	371.29 वर्गमीटर
10	8F	235.64 वर्गमीटर	355.74 वर्गमीटर
11	9F	235.64 वर्गमीटर	355.74 वर्गमीटर
12	10F	235.64 वर्गमीटर	355.74 वर्गमीटर
13	11F	235.64 वर्गमीटर	355.74 वर्गमीटर
14	12F	235.64 वर्गमीटर	355.74 वर्गमीटर
15	13F	235.64 वर्गमीटर	355.74 वर्गमीटर
16	14F	234.68 वर्गमीटर	358.92 वर्गमीटर
17	15F	235.64 वर्गमीटर	355.74 वर्गमीटर
18	16F	235.64 वर्गमीटर	355.74 वर्गमीटर
19	17F	235.64 वर्गमीटर	355.74 वर्गमीटर
20	18F	235.64 वर्गमीटर	355.74 वर्गमीटर
21	19F	235.64 वर्गमीटर	355.74 वर्गमीटर
22	20F	235.64 वर्गमीटर	355.74 वर्गमीटर
23	21F	203.49 वर्गमीटर	355.74 वर्गमीटर
24	22F	------	101.82 वर्गमीटर
25	बेसमेंट गहराई	02.55 मीटर	02.55 मीटर
		ऊंचाई = **72.20 मीटर**)ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, जनरेटर रूम, मशीन रूम, एचवीएसी इकाई, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, पैंटहाउस, टेरेस गार्डन की संरचनाएं आदि सहित(	ऊंचाई = **69.90 मीटर**)ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, जनरेटर रूम, मशीन रूम, एचवीएसी इकाई, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, पैंटहाउस, टेरेस गार्डन की संरचनाएं आदि सहित(

अनुमति देने की सिफारिश निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:

क) परियोजना के निर्माण के दौरान संरक्षित संस्मारक, "जोगेश्वरी गुफाएं", मुंबई की सुरक्षा, संरक्षा, संरक्षण, दृश्य अखंडता और पहुंच पर किसी भी प्रतिकूल प्रभाव से बचने के लिए निम्नलिखित शमन को सावधानीपूर्वक लागू किया जा सकता है:.

i) सरक्षित संस्मारक के आसपास इंजेक्शन ग्राउटिंग द्वारा मिट्टी को मजबूत बनाना।

ii) नींव के निर्माण के लिए पाइल ड्राइविंग तकनीक से बचना।

iii) निर्माण स्थल के निकट उचित चौड़ाई और स्थिरता के साथ खुली खाइयों का निर्माण ताकि जमीन के कंपन को रोका जा सके। खाइयों को ढीली रेत या फ्लाई ऐश से भरा जा सकता है।

iv) निर्माण के विभिन्न चरणों के दौरान कंपन की निगरानी के लिए और संरक्षित संस्मारक पर अन्य संभावित प्रतिकूल प्रभावों की निगरानी के लिए स्थापना उपकरण, जिसमें आईओटी आधारित सेंसर जैसे कि वेलोसमीटर, ऑप्टिकल झुकाव मीटर, ग्राउंड और बिल्डिंग सेटलमेंट मार्कर, ग्राउंड वाटर लेवल मापने वाले उपकरण आदि शामिल हैं, लेकिन ये सीमित नहीं हैं।

v) धूल से सुरक्षा के लिए संरक्षित संस्मारक की मचान और स्क्रीनिंग।

vi) आवेदक द्वारा प्रस्तुत विरासत प्रभाव आकलन (एचआईए) रिपोर्ट में अनुशंसित शमन उपाय।

ख) संरक्षित संस्मारक को किसी भी प्रकार की खराबी/विरूपण/क्षति से बचाने के लिए इमारतों, संरचनाओं, मचान, शटरिंग और निर्माण उपकरणों की तैनाती के दौरान पर्याप्त देखभाल की जानी चाहिए।

ग) खुदाई के समय, यदि कोई कलाकृतियाँ या पुरातात्विक अवशेष पाए जाते हैं, तो उन्हें तुरंत मुंबई सर्कल एएसआई को सौंप दिया जाना चाहिए।

घ) परियोजना को इस तरह से निष्पादित किया जाना चाहिए कि विरासत का भविष्य के साथ सामंजस्यपूर्ण एकीकरण देखा जा सके।

ड़) आवेदक को सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट में उल्लिखित सभी नियमों और शर्तों का पालन करना चाहिए;

च) आवेदक को निर्माण शुरू करने से पहले संबंधित प्राधिकारियों से सभी अपेक्षित/आवश्यक मंजूरी प्राप्त करनी चाहिए;

छ) आवेदक को निर्माण के दौरान और निर्माण के लिए स्थानीय भवन उप-नियमों का सख्ती से पालन करना चाहिए;

ज) जहां भी अनुमति दी गई है, वहां बेसमेंट का निर्माण संबंधित स्थानीय भवन उप-नियमों/क्षेत्रीय विकास योजना के तहत निर्दिष्ट भूमि उपयोग और अन्य प्रावधानों के अनुसार किया जाना चाहिए और पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि सतह जल निकासी बेसमेंट में प्रवेश न करे;

झ) आवासीय और वाणिज्यिक भवन (स्लम का पुनर्विकास) के प्रस्तावित निर्माण के पूरा होने पर सक्षम प्राधिकारी, महाराष्ट्र को एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा कि अनुमति की सभी शर्तों का अनुपालन किया गया है;

ञ) आवेदक को निर्माण पूरा होने के बाद संबंधित स्थानीय निकाय से अधिभोग-सह-पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिए; और

ट) भवन उप-नियमों के तहत जहां भी आवश्यक हो, आवेदक को अग्नि और सुरक्षा विनियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए अग्निशमन विभाग की मंजूरी प्राप्त करनी चाहिए; तथा

ठ) इलाके के संरक्षित संस्मारक की धरोहर उप-विधियों का अनुमोदन होने के बाद उनका का अनुपालन किया जाएगा।

<u>मामला संख्या 39</u>

(रबीबाई इब्राहिम चोतानी डीए और पीओए धारक दाना कंस्ट्रक्शन, सिद्धार्थ कोठारी, कोठारी हाउस लेन नंबर 10, कल्याणी नगर, जिला- पुणे, महाराष्ट्र-411006 के माध्यम से)

आवेदन के अवलोकन के बाद प्राधिकरण ने सीटीएस संख्या 208, एफपी संख्या 79, येरवदा पुणे, महाराष्ट्र - 411006 में 24.00 मीटर (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, जनरेटर रूम, मशीन रूम, एचवीएसी इकाई, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, पेंटहाउस, टेरेस गार्डन की संरचनाएं आदि सहित) की ऊंचाई के साथ जीएफ + 6 मंजिलों के साथ जीएफ = 59.78 वर्ग मीटर, 1एफ = 2एफ = 3एफ = 4एफ = 5एफ = 6एफ = 228.98 वर्ग मीटर, लिफ्ट क्षेत्र = 06.48 मीटर, लिफ्ट पिट = 01.50 मीटर तलक्षेत्र के वाणिज्यिक और आवासीय भवन के निर्माण के लिए अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। अनुमति प्रदान करने की सिफारिश निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:

क) आवेदक सीटीएस संख्या 208, एफपी संख्या 79, येरवदा पुणे, महाराष्ट्र - 411006 में भूखंड के उस हिस्से में कोई भी भवन या संरचना नहीं बनाएगा, जो संरक्षित संस्मारक यानी "आगा खान पैलेस", येरवदा, पुणे, महाराष्ट्र के प्रतिषिद्ध क्षेत्र में आता है। यदि किसी भी स्तर पर कोई उल्लंघन देखा जाता है, तो प्राधिकरण अपनी सिफारिश वापस ले लेगा;

ख) आवेदक को सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट में उल्लिखित सभी शर्तों और शर्तों का पालन करना चाहिए;

ग) आवेदक को निर्माण शुरू करने से पहले संबंधित अधिकारियों से सभी अपेक्षित/आवश्यक मंजूरी प्राप्त करनी चाहिए;

घ) आवेदक को निर्माण के दौरान और निर्माण के लिए स्थानीय भवन उप-नियमों का सख्ती से पालन करना चाहिए;

ङ) आवेदक को निर्माण पूरा होने के बाद संबंधित स्थानीय निकाय से आवश्यक अधिभोग-सह-पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिए; और

च) आवेदक को अग्नि और सुरक्षा विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, जहां भी आवश्यक हो, भवन उप-नियमों के तहत अग्निशमन विभाग की मंजूरी प्राप्त करनी चाहिए।